रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 529] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 13, 2019/भाद्र 22, 1941
No. 529] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 13, 2019/BHADRA 22, 1941

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2019

**सा.का.नि. 651(अ).**—पोलिविनायल क्लोराइड (पीवीसी) पाइपों और फिटिंगों में सीसा स्टेबिलाइजर के उपयोग को विनियमित करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिन्हें केंद्रीय सरकार जन सहयोग मंच बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में ओ.ए सं. 477/2015 में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय तारीख 25 मई, 2017 के अनुसरण में और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 13 के उपनियम (2) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (viii) और धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, का प्रस्ताव करती है, उन सभी व्यक्तियों को, जिसके अंतर्गत संगठन या उद्योग भी है, जिनका इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर केंद्रीय सरकार द्वारा उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना के अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती है, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

कोई व्यक्ति या संगठन, जो प्रस्तावित प्रारूप नियमों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए उन्हें डा. सूसन जोर्ज के, वैज्ञानिक 'घ', पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अग्नि 233, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003, ई-मेल पता susan.george@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

### प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पोलिविनायल क्लोराइड (पीवीसी) पाइपों और फिटिंगों में सीसा स्टेबिलाइजर नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **सीसा या सीसा समिश्रण के उपयोग का प्रतिषेध**—(1) अनुसूची के प्रवर्ग क, ख और ग में आने वाले पीवीसी पाइप और फिटिंग का प्रत्येक विनिर्माता और आयातक भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भारतीय मानक के लिए यथानिर्दिष्ट सीसा निकालने की सीमा के अनुपालन को, जैसा उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में उपबंधित है, को सुनिश्चित करेगा।

**(2) विनिर्माता,–**

(i) भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची 2 की स्कीम 1 के अनुसार इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से छह (6) मास की अवधि के भीतर भारतीय मानक ब्यूरो से अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा ;

(ii) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा की गई अनुज्ञप्ति में उपबंधित विनिर्देश के अनुसार सभी पीवीसी पाइप और फिटिंग पर "मानक चिह्न" उत्कीर्ण करेगा ।

(3) पीवीसी पाइप और फिटिंग का विनिर्माता, उक्त अनुसूची के स्तंभ (4) में यथा निर्दिष्ट तारीख से अनुसूची के स्तंभ (2) में यथा उपबंधित ऐसे पीवीसी पाइप और फिटिंग के विनिर्माण में स्टेबलाइजर के रूप में सीसे के उपयोग या सीसा समिश्रण को प्रतिषेध करेगा ।

(4) पीवीसी पाइप और फिटिंग का आयातक ऐसे पीवीसी के पाइप और फिटिंग के आयातकों को, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (4) में निर्दिष्ट तारीख से, अनुसूची के स्तंभ (2) में यथा उपबंधित स्टेबलाइजर के रूप में सीसे के उपयोग या सीसा समिश्रण के उपयोग से बनाए गए हैं, का प्रतिषेध करेगा ।

(5) पीवीसी पाइप और फिटिंग का निर्यातक ऐसे पीवीसी के पाइप और फिटिंग के निर्यातकों को, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (4) में निर्दिष्ट तारीख से, अनुसूची के स्तंभ (2) में यथा उपबंधित स्टेबलाइजर के रूप में सीसे के उपयोग या सीसा समिश्रण के उपयोग से बनाए गए हैं, का प्रतिषेध करेगा ।

**3. लेबल और चिह्न लगाने की आवश्यकता–**(1) अनुसूची के प्रवर्ग क, ख और ग में आने वाले पीवीसी पाइप और फिटिंग के सभी विनिर्माता और आयातक—

(i) पीवीसी पाइप और फिटिंग पर, जो सीसे की सीमा अनुसूची के स्तंभ (3) में विहित सीमा से अधिक नहीं हैं, उत्कीर्ण करेंगे ;

(ii) पीवीसी पाइप और फिटिंग के जीवन तक सुवच्यता का टिकाऊपन और स्पष्टता सुनिश्चित करेंगे ।

(2) विनिर्मित और आयात किए गए सभी पीवीसी पाइप और फिटिंग पर--

(i) विनिर्माता और आयातक का नाम और पता ;

(ii) विनिर्मित और आयात की तारीख ;

(iii) आयात के देश का नाम ;

उत्कीर्ण करेंगे ।

**4. नोडल अभिकरण—**(1) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) इन नियमों के उपबंधों को क्रियान्वित और प्रवर्त करने के लिए नोडल अभिकरण होगा ।

(2) इन नियमों के क्रियान्वयन से संबंधित प्रत्येक विवाद और मामले नोडल अभिकरण को निर्दिष्ट किए जाएंगे ।

(3) इन नियमों के क्रियान्वयन के उद्देश्य के लिए और इन नियमों से संबंधित किसी विवाद या मामले के निराकरण के लिए नोडल अभिकरण द्वारा एक पैनल गठित किया जाएगा ।

**5. उत्पाद के परीक्षण के लिए प्राधिकृत अभिकरण–**(1) भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशालाएं और भारतीय मानक द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाएं ऐसे परीक्षण को क्रियान्वित करने के लिए अधिकृत होगी, जो नियम 2 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों ।

(2) अनुसूची के प्रवर्ग क, ख और ग के अधीन आने वाले पीवीसी पाइप और फिटिंग के सभी विनिर्माता और आयातक, नियम 2 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे पीवीसी पाइप और फिटिंग को परीक्षण के लिए उप नियम (1) में यथा निर्दिष्ट प्रयोगशाला के सामने प्रस्तुत करेंगे ।

(3) प्रत्येक निर्माता और आयातक नोडल अभिकरण और भारतीय मानक ब्यूरो को परीक्षण रिपोर्ट सत्यापन और किसी कार्रवाई के लिए, जैसा अपेक्षित हो, प्रस्तुत करेंगे ।

(4) नोडल अभिकरण प्रत्येक छह मास में इन नियमों के उपबंधों के क्रियान्वयन और प्रवर्तन की स्थिति पर एक व्यापक रिपोर्ट पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सम्मुख प्रस्तुत करेगा ।

IndiaCode

**6. अस्थायी उपबंध**—देश में विनिर्मित और आयात किए गए अनुसूची के प्रवर्ग क, ख और ग के अधीन आने वाले पीवीसी पाइप और फिटिंग इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से अगले छह मास के विक्रय के लिए स्वीकृत होंगे ।

## अनुसूची

(नियम 2, 3 और 6 देखें)

**भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित पीवीसी पाइप और फिटिंग तथा तत्स्थानी भारतीय मानकों की सूची**

| क्रम सं. | भारतीय मानक संख्या और शीर्षक | अधिसूचना की तारीख पर सीसा निष्कर्षण की सीमा | प्रतिषेध के लागू होने की तारीख |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| **प्रवर्ग क : सुवाह्य जल सप्लाई के लिए पीवीसी पाइप और फिटिंग का उपयोग** | | | |
| क.1. | आईएस 4985 (भाग 1) का प्रकार क : xxxx<br>सुवाह्य जल सप्लाई और कृषि प्रयुक्त के लिए अप्लास्टीकृत पीवीसी पाइप हेतु विनिर्देश (चौथा पुनरीक्षण) | 1 पीपीएम (प्रथम निष्कर्षण) और 0.05 पीपीएम (तृतीय निष्कर्षण) | इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् |
| क.2. | आईएस 12818 : 2010<br>बोर/ट्यूबल के लिए अप्लास्टीकृत पोलीविनायल क्लोराइड (पीवीसी-यू) आवरण और खोल विनिर्देश (दूसरा पुनरीक्षण) | 1 पीपीएम (प्रथम निष्कर्षण) और 0.05 पीपीएम (तृतीय निष्कर्षण) | - यथोक्त - |
| क.3. | आईएस 15778 : 2007<br>सुवाह्य गर्म और ठंडे जल वितरण सप्लाई के लिए कलोरीनेटिड पोलीविनायल क्लोराइड (सीपीवीसी) पाइप – विनिर्देश | 1 पीपीएम (प्रथम निष्कर्षण) और 0.05 पीपीएम (तृतीय निष्कर्षण) | - यथोक्त - |
| क.4. | आईएस 16647 : 2017<br>जल सप्लाई के लिए उन्मुख अप्लास्टीकृत पोलीविनायल क्लोराइड (पीवीसी-ओ) - विनिर्देश | 1 पीपीएम (प्रथम निष्कर्षण) और 0.05 पीपीएम (तृतीय निष्कर्षण) | - यथोक्त - |
| क.5. | आईएस 10124 (भाग 1 से 13) : 2009<br>सुवाह्य जल सप्लाई के लिए गढ़ा हुआ पीवीसी-यू फिटिंग विनिर्देश (दूसरा पुनरीक्षण) | 1 पीपीएम (प्रथम निष्कर्षण) और 0.05 पीपीएम (तृतीय निष्कर्षण) | - यथोक्त - |
| क.6. | आईएस 7834 (भाग 1 से 8) : 1987<br>जल सप्लाई के लिए विलायक सीमेंट जोड़ के साथ सांचे में ढला हुआ पीवीसी साकेट फिटिंग डालने हेतु विनिर्देश (पहला पुनरीक्षण) | 1 पीपीएम (प्रथम निष्कर्षण) और 0.05 पीपीएम (तृतीय निष्कर्षण) | - यथोक्त - |
| **प्रवर्ग ख : कृषि में और कृषि पंप तथा वर्षा जल प्रणाली की लाइनों के चूषण और वितरण में पीवीसी पाइप और फिटिंग का उपयोग** | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| ख.1. | आईएस 4985 (भाग 1) का प्रकार क : xxxx<br>सुवाह्य जल सप्लाई और कृषि प्रयुक्त के लिए अप्लास्टीकृत पीवीसी पाइप हेतु विनिर्देश (चौथा पुनरीक्षण) | 1 पीपीएम (प्रथम निष्कर्षण) और 0.05 पीपीएम (तृतीय निष्कर्षण) | इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् |

India Code

| | | | |
|---|---|---|---|
| ख.2. | आईएस 12231 : 1987<br>कृषि पंप सेट के चूषण और वितरण में उपयोग के लिए अप्लास्टीकृत पीवीसी पाइप हेतु विनिर्देश | 1 पीपीएम (प्रथम निष्कर्षण) और 0.05 पीपीएम (तृतीय निष्कर्षण) | - यथोक्त - |
| ख.3. | आईएस 13593 : 1992<br>कृषि पंप की लाइनों के चूषण और वितरण में यूपीवीसी पाइप के साथ प्रयोग होने वाले यूपीवीसी पाइप फिटिंग के लिए विनिर्देश | 1 पीपीएम (प्रथम निष्कर्षण) और 0.05 पीपीएम (तृतीय निष्कर्षण) | - यथोक्त - |
| ख.4. | आईएस 15265 : 2003<br>कृषि पंप की चूषण और वितरण लाइनों के लिए लचीले पीवीसी पाइप पोलीमर सुदृढ़ थम्रो प्लास्टिक हाउस – विनिर्देश | 1 पीपीएम (प्रथम निष्कर्षण) और 0.05 पीपीएम (तृतीय निष्कर्षण) | - यथोक्त - |
| ख.5. | आईएस 14735 : 1999<br>मृदा और भवनों के आंतरिक और बाहरी, जिसमें वायु संचार और वर्षा जल प्रणाली भी है, के लिए मुक्त प्रणाली हेतु अप्लास्टीकृत कलोरीनेटिड पोलीविनायल क्लोराइड (पीवीसी.यू) पाइप – विनिर्देश (पहला पुनरीक्षण) | 1 पीपीएम (प्रथम निष्कर्षण) और 0.05 पीपीएम (तृतीय निष्कर्षण) | - यथोक्त - |
| ख.6. | आईएस 14735 : 1999<br>मृदा और भवनों के आंतरिक और बाहरी, जिसमें वायु संचार और वर्षा जल प्रणाली भी है, के लिए अपशिष्ट मुक्त प्रणाली हेतु सांचे में ढले हुए फिटिंग लगाने के लिए अप्लास्टीकृत पोलीविनायल क्लोराइड (यूपीवीसी) – विनिर्देश | 1 पीपीएम (प्रथम निष्कर्षण) और 0.05 पीपीएम (तृतीय निष्कर्षण) | - यथोक्त - |
| **प्रवर्ग ग : जल निकासी और सीवरेज प्रणाली के लिए पीवीसी पाइप और फिटिंग का उपयोग** | | | |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** |
| ग.1. | आईएस 9271 : 2004<br>जल निकासी के लिए एकल वाल नलीदार पाइप अप्लास्टीकृत पोलीविनायल क्लोराइड (यूपीवीसी) पाइप विनिर्देश (पहला पुनरीक्षण) | 1 पीपीएम (प्रथम निष्कर्षण) और 0.05 पीपीएम (तृतीय निष्कर्षण) | इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् |
| ग.2. | आईएस 15328 : 2003<br>भूमिगत जल निकासी और सीवरेज प्रणाली में उपयोग के लिए अप्लास्टीकृत गैर दबाव पोलीविनायल क्लोराइड (पीवीसी-यू) विनिर्देश | 1 पीपीएम (प्रथम निष्कर्षण) और 0.05 पीपीएम (तृतीय निष्कर्षण) | - यथोक्त - |
| ग.3. | आईएस 16028 (भाग 1) : 2013<br>संरचनाबद्ध – गैर दबाव जल निकासी और सीवरेज के लिए वाल प्लास्टिक पाइप प्रणाली – विनिर्देश : भाग 1 पाइप और फिटिंग के साथ सहज बाह्य सतह, प्रकार क | 1 पीपीएम (प्रथम निष्कर्षण) और 0.05 पीपीएम (तृतीय निष्कर्षण) | - यथोक्त - |

IndiaCode

भारतीय मानकों के अद्यतन संस्करण, जिसमें इसके जारी किए गए संशोधन भी हैं, जो समय-समय पर ब्यूरो द्वारा प्रकाशित और अधिसूचित किए गए ब्यूरो द्वारा अधिसूचित तारीख से लागू होंगे ।

[फा. सं. क्यू-18011/77/2015-सीपीए]

जीगमीत टकपा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

## NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2019

**G.S.R. 651(E).—**The following draft of certain rules to regulate the use of lead stabilizer in Polyvinyl Chloride (PVC) pipes and fittings which the Central Government proposes to make in pursuance of Hon'ble National Green Tribunal's judgement dated the 25th May, 2017 in O.A. No. 477/2015 in the matter of Jan Sahyog Manch Vs. Union of India and Others and in exercise of its powers under sub-section (1) of section 3, clause (viii) of sub-section (2) of section 3 and clause (d) of sub-section (2) of section 6 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (2) of rule 13 of the Environment (Protection) Rules, 1986, is hereby published for information of all persons including organisations or industries likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration by the Central Government after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person or organisation desirous of making any suggestion or objection in respect of the proposed draft rules may forward the same in writing by mail for consideration of the Central Government within the period so specified to Dr. Susan George K., Scientist 'D', Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Agni-233, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110 003; email: susan.george@nic.in.

indiacode

## DRAFT RULES

1. **Short title and commencement**.—(1) These rules may be called the Lead Stabilizer in Polyvinyl Chloride (PVC) Pipes and Fittings, Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Prohibition of use of lead or lead compounds.—**(1) Every manufacturer and importer, of the PVC pipes and fittings falling in category A, B and C of the Schedule, shall ensure to comply with the limits of the lead extraction, as specified for the Indian Standards by the Bureau of Indian Standards (BIS) and the same is provided in column (3) of the said Schedule.

(2) The manufacturer shall,-

(i) obtain a licence from the Bureau of Indian Standards within a period of six (6) months from the date of publication of these rules in accordance with Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018;

(ii) emboss the "Standard Mark" on all the PVC pipes and fittings in accordance with the specification provided in the licence issued by the Bureau of Indian Standards.

(3) The manufacturer of PVC pipes and fittings shall be prohibited to use lead or lead compounds as stabilizer in manufacturing of such PVC pipes and fittings as provided in column (2) of the Schedule, from the date as specified in column (4) of the said Schedule.

(4) The importer of the PVC pipes and fittings shall be prohibited to import such PVC pipes and fittings, which are manufactured using lead or lead compounds as stabilizer, as provided in column (2) of the Schedule, from the date as specified in column (4) of the said Schedule.

(5) The exporter of the PVC pipes and fittings shall be prohibited to export such PVC pipes and fittings, which are manufactured using lead or lead compounds as stabilizer, as provided in column (2) of the Schedule, from the date as specified in column (4) of the said Schedule.

3. **Labelling and marking requirements.**—(1) All manufacturer and importer of PVC pipes and fittings falling in category A, B and C of the Schedule shall-

(i) emboss on the PVC pipes and fittings that the limit of lead is not exceeding the limit as prescribed in column (3) of the Schedule;

(ii) ensure the durability and legibility of the embossment upto the life of the PVC pipes and fittings.

(2) All the PVC pipes and fittings manufactured and imported shall emboss-

(i) the name and address of the manufacturer and importer;

(ii) the date of manufacture and import;

(iii) the name of country of import.

4. **Nodal agency.**—(1) The Central Pollution Control Board (CPCB) shall be the Nodal Agency for implementation and enforcement of the provisions of these rules.

(2) Every dispute or issue relating to the implementation of these rules shall be referred to the Nodal Agency.

(3) A Panel may be constituted by the Nodal Agency for the purpose of implementation of these rules and to resolve any dispute or issue relating to these rules.

5. **Authorised agencies for testing of products**.—(1) The Laboratories of the BIS and the Laboratories approved by the BIS shall be authorised to carry out such tests as are necessary to ascertain the compliance of rule 2.

(2) Every manufacturer and importer of the PVC pipes and fittings, falling under Category A, B and C in the Schedule, shall produce such PVC pipes and fittings for testing before the laboratories as specified in sub-rule (1), to ensure the compliance of rule 2.

(3) Every manufacturer and importer shall submit the test reports to the Nodal Agency and the BIS for verification and any action, as may be required.

(4) The Nodal Agency shall furnish a comprehensive report on the status of implementation and enforcement of the provisions of these rules to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in every six (6) months.

6. **Transitory provision.—**The PVC pipes and fittings, falling under Category A, B and C of the Schedule, manufactured or imported into the country before the date of publication of these rules, shall be permitted for sale for the next six months.

## SCHEDULE

(See Rules 2, 3 and 6)

### LIST OF PVC PIPES AND FITTINGS AND CORRESPONDING INDIAN STANDARDS PUBLISHED BY THE BIS

| Sl. No. | Indian Standard No. and Title[i] | Lead extraction limits as on date of notification | Date of application of prohibition |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| **CATEGORY A: Use of PVC Pipes and Fittings for Potable Water Supply** | | | |
| A.1. | Type A of IS 4985 (Part 1):xxxx<br>Specification for unplasticised PVC pipes for potable water supplies and agricultural use (*fourth revision*) | 1 ppm (first extraction) and 0.05 ppm (third extraction) | After one year from the date of publication of these rules |

| | | | |
|---|---|---|---|
| A.2. | IS 12818:2010<br>Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) screen and casing pipes for bore/tubewells - Specification (*second revision*) | 1 ppm (first extraction) and 0.05 ppm (third extraction) | -Do- |
| A.3. | IS 15778:2007<br>Chlorinated polyvinyl chloride (CPVC) pipes for potable hot and cold water distribution supplies – Specification | 1 ppm (first extraction) and 0.05 ppm (third extraction) | -Do- |
| A.4. | IS 16647:2017<br>Oriented unplasticized polyvinyl chloride (PVC-O) pipes for water supply - Specification | 1 ppm (first extraction) and 0.05 ppm (third extraction) | -Do- |
| A.5. | IS 10124 (Parts 1 to 13):2009<br>Fabricated PVC-U fittings for potable water supplies Specification (*second revision*) | 1 ppm (first extraction) and 0.05 ppm (third extraction) | -Do- |
| A.6. | IS 7834(Parts 1 to 8):1987<br>Specification for injection moulded PVC socket fittings with solvent cement joints for water supplies (*first revision*) | 1 ppm (first extraction) and 0.05 ppm (third extraction) | -Do- |
| **CATEGORY B: Use of PVC Pipes and Fittings in Agriculture and in Suction and Delivery Lines of Agricultural Pumps and Rain Water Systems** | | | |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** |
| B.1. | Type B of IS 4985 (Part 1):xxxx<br>Specification for unplasticised PVC pipes for potable water supplies and agricultural use (*fourth revision*) | 1 ppm (first extraction) and 0.05 ppm (third extraction) | After three years from the date of publication of these rules |
| B.2. | IS 12231:1987<br>Specification for unplasticized PVC pipes for use in suction and delivery lines of agricultural pump sets | 1 ppm (first extraction) and 0.05 ppm (third extraction) | -Do- |
| B.3. | IS 13593:1992<br>Specification for UPVC pipe fittings to be used with the UPVC pipes in the suction and delivery lines of agricultural pumps | 1 ppm (first extraction) and 0.05 ppm (third extraction) | -Do- |
| B.4. | IS 15265:2003<br>Flexible PVC pipes polymer reinforced thermoplastic hoses for suction and delivery lines of agricultural pumps - Specification | 1 ppm (first extraction) and 0.05 ppm (third extraction) | -Do- |
| B.5. | IS 13592:2013<br>Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) pipes for soil and discharge system for inside and outside buildings including ventilation and rain water system – Specification (*first revision*) | 1 ppm (first extraction) and 0.05 ppm (third extraction) | -Do- |

Indian Code

| | | | |
|---|---|---|---|
| B.6. | IS 14735:1999<br>Unplasticized polyvinyl chloride (UPVC) injection moulded fittings for soil and waste discharge system for inside and outside buildings including ventilation and rain water system - Specification | 1 ppm (first extraction) and 0.05 ppm (third extraction) | -Do- |
| **CATEGORY C: Use of PVC Pipes and Fittings for Drainage and Sewarage System** | | | |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** |
| C.1. | IS 9271:2004<br>Unplasticized polyvinyl chloride UPVC single wall corrugated pipes for drainage - Specification (*first revision*) | 1 ppm (first extraction) and 0.05 ppm (third extraction) | After four years from the date of publication of these rules |
| C.2. | IS 15328:2003<br>Unplasticized non-pressure polyvinyl chloride (PVC-U) pipes for use in underground drainage and sewerage system - Specification | 1 ppm (first extraction) and 0.05 ppm (third extraction) | -Do- |
| C.3. | IS 16098(Part 1):2013<br>Structured - wall plastics piping systems for non-pressure drainage and sewerage – Specification: Part 1 Pipes and fittings with smooth external surface, Type A | 1 ppm (first extraction) and 0.05 ppm (third extraction) | -Do- |

[i] The latest version of Indian Standards including the amendments issued thereof, as published and notified by the Bureau from time to time, shall be applicable from the date as notified by the Bureau.

[F. No. Q-18011/77/2015-CPA]

JIGMET TAKPA, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.09.13 21:50:18 +05'30'